संख्या-14/2022/548/96-आयुष-2-2022-11(बी)/2021

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2022

विषय- पं0 जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेंडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर में शिक्षा भवन एवं प्रशासनिक भवन के सुदृढीकरण, पुरूष एवं महिला छात्रावास के सुदृढीकरण, सेनेटरी वर्क, वाटर सप्लाई, विघुतीकरण तथा डेवलपमेन्ट इत्यादि आवश्यक कार्यो को कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-नि0हो0/1041/बजट/पी/20-21/टीसी/3004 दिनांक 29-10-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी) के अंतर्गत लेखाशीर्षक: 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-03-राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ, राजकीय पं0 जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर तथा राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथी मेडिकल कालेज, प्रयागराज के भवनों का निर्माण हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि 750.00 लाख के सापेक्ष पं0 जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेंडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर में शिक्षा भवन एवं प्रशासनिक भवन के सुदृढीकरण, पुरूष एवं महिला छात्रावास के सुदृढीकरण, सेनेटरी वर्क, वाटर सप्लाई, विघुतीकरण तथा डेवलपमेन्ट इत्यादि आवश्यक कार्यो हेतु रू0 874.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 50.00 (रूपये पच्चास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) एकमुश्त व्यवस्था के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 22.03.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) विभाग द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने से पूर्व उसका समायोजन आलेख्य पर करेंगे।

(4) प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(5) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्र0 वि0 की होगा।

(6) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(7) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्र0वि0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(9) विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

(12) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी) के अंतर्गत लेखाशीर्षक: 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-03-राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ, राजकीय पं0 जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर तथा राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथी मेडिकल कालेज, प्रयागराज एवं अस्पताल-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-3-3608-दस/2021-22, दिनॉक-31-03-2022 में प्राप्त उनकी सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-14/2022/548/96-आयुष-2-2022- तददिनॉक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथिक निदेशालय, लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्राचार्य, राजकीय पं0 जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, कानपुर।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लक्ष्मण सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in